निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 537) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-8/2015/60 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार वित्त अधिनियम, 2015

(बिहार अधिनियम 9, 2015)

प्रस्तावना—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग,व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम,1993 (बिहार अधिनियम 16,1993) एवं बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा—4, जो कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से संबंधित है, में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार वित्त अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग —1

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा—2 की उपधारा (u) का प्रतिस्थापन एवं इसका विधिमान्यकरण —(*1*) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—2 की उप—धारा (u) को, दिनांक 23 जून, 2005 के प्रभाव से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

'(u) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं इसमें वाणिज्य—कर विभाग के वेबसाईट पर अपलोड की गई अधिसूचना शामिल है;

(2) विधिमान्यकरण— उक्त अधिनियम की धारा—2 की उपधारा (u) में किया गया संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु 2005 के जून की तेईसवीं तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जायेगा।

(3) व्यावृत्ति— (*i*) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जाएगी या समझा जाएगा एवं सदैव समझी जायेगी या समझा जाएगा मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तद्नुसार, कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जायेगी या किया गया समझा जाएगा एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतायी गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूले गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—2 की उपधारा (u) में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 2 की उपधारा (u) के साथ पठित धारा 3 के अनुरूप वसूली जा सकेगी।

(*ii*) शंकाओं के निराकरण हेतु एतत् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—62 में संशोधन।— बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा—62 की उपधारा (*1*) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

''62. बिहार राज्य से होकर माल का परिवहन— (1) यदि किसी माल का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा बिहार राज्य के बाहर के किसी स्थान से अन्य किसी ऐसे स्थान पर किया जा रहा है और माल को ढोने वाला वाहन, राज्य के राज्यक्षेत्र से गुजरता है, तो चालक या वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् मार्ग में पड़ने वाली प्रथम जाँच—चौकी के प्राधिकारी से विहित रीति से अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करेगा और राज्य को छोड़ने के पूर्व अंतिम जाँच—चौकी के प्राधिकारी को वही अभिवहन अनुज्ञा समर्पित करेगा और मार्ग में पड़ने वाली प्रथम

जाँच–चौकी को छोड़ने के बहत्तर घंटे से अनधिक परंतु चौबीस घंटे से अन्यून ऐसी अवधि जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, के भीतर ऐसा न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि इस प्रकार परिवहित किया गया माल वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा बिहार राज्य के भीतर बेच दिया गया है।''

4. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में एक नयी धारा–46क का अंतःस्थापन–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 के बाद निम्नलिखित नयी धारा–46क अंतःस्थापित की जायेगी, यथा–

''46क– वसूली कोषांग– (1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर आवश्यकतानुसार इतने वसूली कोषांगों का गठन कर सकेगी तथा इसमें इतने कर्मचारी एवं इतने पदाधिकारियों की संख्या तथा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का ऐसा सोपान होगा जो राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय**;**

परन्तु यदि धारा– 10 की उपधारा– (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी इस तरह विनिर्दिष्ट किये जाते है तो, वे धारा– 10 की उप–धारा– (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने में धारा– 39, धारा– 46, एवं धारा–47 के अधीन प्राधिकारी के शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, वसूली कोषांग के किसी पदाधिकारी को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन पुलिस स्टेशन के प्रभारी पदाधिकारी की शक्तियाँ तथा विभिन्न अधिनियमों के अधीन ऐसी अन्य शक्तियाँ, जैसा वह आवश्यक समझे, निहित कर सकेगी।

(3) आयुक्त, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर वसूली कोषांग के किसी पदाधिकारी को, आदेश में विनिर्दिष्ट मामलों में धारा– 10 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(4) वसूली कोषांग आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो आयुक्त द्वारा उन्हें सौंपे जाय।''

5. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–11 में संशोधन।–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–11 में शब्द ''धारा–10'' के ठीक बाद शब्द एवं अंक ''या धारा–46क'' जोड़े जाएंगे।

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–12 में संशोधन।–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–12 की उप–धारा (1) में शब्द ''धारा–10'' के ठीक बाद शब्द एवं अंक ''या धारा–46क'' जोड़े जाएंगे।

7. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 में संशोधन।–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–46 की उप–धारा (2) में शब्द ''सभी उपबंध'' के ठीक बाद शब्द ''और नियम'' जोड़े जाएंगे।

भाग–2

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) में संशोधन।

8. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–2 में संशोधन।– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 2 की उपधारा (*1*) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(*2*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा– 2 की उपधारा (*1*) का खण्ड (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

''व्यौहारी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियमित रूप से या अन्यथा, कारबार के अनुक्रम में विक्रय करता है, क्रय करता है, प्रदाय करता है, वितरण करता है या माल के ऐसे क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण से आनुषांगिक कोई कार्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, चाहे नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए करता है और इसमें ये शामिल हैं,–

(क) स्थानीय प्राधिकारी;

(ख) हिन्दू अविभक्त परिवार;

(ग) कंपनी या कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी शामिल है), क्लब, फर्म, व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जो ऐसा कारबार करता है;

(घ) कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी शामिल है), क्लब, फर्म या संगम, जो अपने सदस्यों से माल का क्रय करता है या उनको माल का विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है;

(ङ) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंकिंग या व्यवसाय उपक्रम, जो चाहे केन्द्रीय सरकार का या राज्य सरकारों में से किसी एक का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का हो या नहीं हो ;

(च) कोई आकस्मिक व्यापारी;

(छ) कोई कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर कोई प्रत्यायक अभिकर्ता, कोई नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वामी की ओर से माल के विक्रय, क्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है।

स्पष्टीकरण–I – प्रत्येक व्यक्ति, जो बिहार राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है अथवा ऐसे व्यौहारी की ओर से निम्नलिखित रूप में–

(क) कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर, किसी प्रत्यायक अभिकर्ता, किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; या

(ख) माल या माल के हक दस्तावेजों को संभालने के लिए अभिकर्ता;

(ग) माल की क्रय कीमत के संग्रहण या संदाय के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता; या

(घ) राज्य के बाहर अवस्थित फर्म या कंपनी की एक स्थानीय शाखा का कार्य करता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यौहारी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–II –कोई सरकार, जो कारबार के सिलसिले में या अन्यथा, नकद या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, माल खरीदती, बेचती, आपूर्ति करती हो या वितरित करती हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वह व्यौहारी समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण– III –प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य के अन्दर के किसी क्रेता अथवा आयातक को किसी इलेक्ट्रॉनीक वाणिज्य अथवा अन्यथा माध्यम से अनुसूचित मालों के आपूर्ति अथवा सुपूर्दगी के व्यवसाय से संबद्ध हो, को इस अधिनियम के बावत व्यौहारी माना जाएगा।

(*3*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 2 की उपधारा (*2*) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 '' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3 में संशोधन।– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा– 3 की उपधारा (*2*) में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(*2*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3 की उपधारा (*2*) के प्रथम परंतुक में प्रयुक्त शब्द ''पच्चीस हजार'' शब्द ''एक हजार'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(*3*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3 की उपधारा (*2*) के तृतीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द एवं अंक ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 7 की उपधारा (*3*), बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अधीन कर देयता में कटौती'' शब्द एवं अंक ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर देयता में कटौती'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3क का प्रतिस्थापन।– बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा–3क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी –

''3क. राज्य सरकार को अनुसूची में संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति– (*1*) राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के अनुसूची को संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकेगी या इसमें किसी भी चीज को जोड़ सकेगी।''

(2) विधिमान्यकरण– उक्त अधिनियम की धारा–3क में संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2006 के अगस्त की उनतीसवीं तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जायेगा।

(3) व्यावृत्ति– (*i*) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली एवं निर्गत अधिसूचना के अधीन कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी एवं सदैव समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम सभी तात्विक समय में प्रवृत्त था तथा, तद्नुसार, कृत कोई कार्रवाई अथवा की गई कोई बात या की जाने के लिए तात्पार्यित कोई बात या कार्रवाई, कर निर्धारण, कर संग्रह, समायोजन, कर में कटौती या किया गया गणना सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से की गई समझी जायेगी एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति के रूप में प्राप्त की गई अथवा भुगतायी गयी किसी राशि की वापसी हेतु कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई न तो प्रारम्भ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा प्राप्त या वसूले गए ऐसे कर, ब्याज अथवा शास्ति की राशि के वापसी हेतु डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्तन नहीं कराया जायेगा।

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3क में इस अधिनियम द्वारा संशोधन के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परन्तु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 3क के साथ पठित धारा 3 के अनुरूप वसूली की जा सकेगी।

(*ii*) शंकाओं के निराकरण हेतु एतत् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप जो इस धारा के प्रवृत्त नहीं होने की दशा में दंडनीय नही होता, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा।

11. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) के अधीन एक नई धारा 3कक अंतःस्थापित किया जाना। – बिहार अधिनियम 16, 1993 की धारा 3क के बाद निम्नलिखित एक नई धारा 3कक अंतःस्थापित की जाएगी :–

''3कक. आयातकों से कतिपय मामलों में कर संग्रहण – (1) अधिनियम के अधीन किसी अन्य बात के रहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी जो किसी इलेक्ट्रॉनिक कामर्स अथवा अन्यथा माध्यम से अनुसूचित मालों के आपूर्ति अथवा सुपुर्दगी के व्यवसाय से संबद्ध हो, राज्य के अन्दर के किसी क्रेता अथवा आयातक को जो इस अधिनियम के अधीन निबंधित नहीं है, को अनुसूचित मालों की सुपूर्दगी के पहले अथवा सुपुर्दगी के समय अनुसूचित मालों के ऐसे क्रेता अथवा आयातक से अनुसूचित मालो पर विहित दर से देय प्रवेश कर की वसूली करेगा।

(2) अनुसूचित मालों के इस प्रकार की कोई सुपुर्दगी, उपधारा (1) के अधीन वसूल किये जाने वाले प्रवेश कर की वसूली के बिना, नही की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर वसूली की शक्ति वसूली के किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी राशि को संग्रहित करने वाला व्यक्ति या व्यौहारी संग्रहित राशि को, विहित समय के भीतर अधिनियम के अधीन कर जमा करने की विहित रीति से, सरकारी खजाने में जमा करेगा।

(5) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 40 की उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) एवं उपधारा (6) के कर–संग्रह, जमा, एवं ऐसा कर–संग्रह करनेवाले व्यक्ति या व्यौहारी के उत्तरदायित्व, दायित्व का निर्वहन, शास्ति–अधिरोपन एवं वसूली से संबंधित प्रावधान, उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन संग्रहित राशि के सम्बन्ध में, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(6) इस धारा के प्रावधानों के अधीन कर–संग्रह करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी ऐसी अवधि के भीतर जो विहित किया जाय, इस आशय का प्रमाण पत्र क्रेता को निर्गत करेगा कि कर का उदग्रहण हो चुका है और जिस दर पर कर संग्रहित किया गया है ऐसे संग्रहित कर की राशि और ऐसे विवरण जो विहित किये जायँ, को उसमें विनिर्दिष्ट करेगा।

(7) इस धारा के प्रावधानों के अधीन कर–संग्रह करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी, प्रत्येक माह, त्रैमास एवं वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित अवधि में, विहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसी विवरणी उस प्रपत्र में ऐसा विवरण अंकित कर और इस प्रकार सत्यापित करते हुए उस अवधि के भीतर, दाखिल करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(8) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी संचालित किये गये अनुसूचित मालो एवं उनके स्वामित्व के कागजातों के सम्बन्ध में सही एवं पूर्ण लेखा, पंजी एवं कागजात जो विहित किए जायें, संधारित करेगा और ऐसे लेखा, पंजी एवं कागजात विहित प्राधिकारी के समक्ष आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

(9) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार कर संग्रहण हेतु दायी प्रत्येक व्यक्ति या व्यौहारी अधिनियम की धारा 5 के अधीन विहित रीति से निबंधन हेतु आवेदन देगा एवं अधिनियम के तहत निबंधन प्राप्त करेगा।

12. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 7 में संशोधन– (*1*) बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 7 की उपधारा (*4*) में प्रयुक्त शब्द ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5, 1981)'' को ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 8 का प्रतिस्थापन– बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–

''8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का लागू होना –

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) के अन्तर्गत विवरणियों की संवीक्षा, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण एवं कर, सूद, जुर्माना तथा शास्ति अदायगी को लागू करने के लिये प्राधिकृत पदाधिकारी इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विवरणियों की संवीक्षा, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण एवं कर, सूद, जुर्माना तथा शास्ति अदायगी की कार्रवाई कर सकेगा, और उसके लिये वह उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाई गयी नियमावली के अन्तर्गत तत्समय उनको प्रदत्त सभी अथवा किसी शक्ति, जिसमें विवरणी, अंकेक्षण, सर्वे, कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, छिपाये गये कर का निर्धारण, कर की वसूली, विवरणियों की संवीक्षा, सूद, जुर्माना एवं शास्ति, वसूली की विशेष रीति, लेखा का संधारण, निरीक्षण, तलाशी एवं जप्ती, प्रतिनिधि चरित्र का दायित्व, कर–वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय के मामले का विवरण, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील, अपराध का शमन एवं अन्य विविध मामले शामिल हैं, तद्नुसार उक्त अधिनियम के प्रावधान, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।''

भाग–3

बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा–4, जो कि बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से संबंधित है, में संशोधन।

14. बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा– 4 में संशोधन।

बिहार वित्त अधिनियम 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा– 4 में '3– क (ii)' तथा '(ii)' के स्थान पर क्रमशः **'3–क (ii) क'** तथा **'(ii) क'** पढ़ा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-8/2015/61/लेज:।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 29 अप्रील 2015 को अनुमत **बिहार वित्त अधिनियम, 2015** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

BIHAR FINANCE ACT, 2015

(Bihar Act 9, 2015)

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005(ACT 27 OF 2005) THE BIHAR TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS FOR CONSUMPTION,USE OR SALE THEREIN ACT, 1993(BIHAR ACT 16 OF 1993), AND SECTION-4 OF THE BIHAR FINANCE ACT 2014(Bihar Act 15, 2014), WHICH IS RELATED TO BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (*1*) This Act may be called the Bihar Finance Act, 2015.

(*2*) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(*3*) It shall come in to force at once.

PART-1

Amendment in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)

2. Substitution of sub Section (u) of Section 2 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and its Validation – (*1*) Sub Section (*u*) of Section 2 of the

Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall, with effect from the twenty third day of June, 2005, be substituted by the following, namely—

'(u) "notification" means a notification published in the Official Gazette and it includes a notification uploaded on the website of the Commercial Taxes Department;'

(2) Validation— The amendments made in sub-section (u) of Section 2 of the Act shall be deemed to be inforce and always inforce, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the twenty third day of June, 2005.

(3) Saving.— (i) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and notifications issued and rules made thereunder shall be deemed to be taken or done and always be taken or done, for all purposes, validly and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Act, as amended by this Act, had been in force at all material times and, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order or any court, or Tribunal or other Authority:-

(a) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(c) recoveries may be made, in accordance with the provisions of sub-section (u) of Section 2 read with the provisions of Section 3 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), of all amounts which could have been collected as tax under the said Act by reason of amendment made in sub-section (u) of Section 2 by this Act but which had not been collected.

(ii) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this section had not come into force.

3. Amendment in Sub-Section (*1*) of Section 62 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) – (*1*) Sub Section (*1*) of Section 62 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely—

"62. Transportation of goods through State of Bihar.— (*1*) If any consignment of goods is being transported by road from a place outside the State of Bihar to another such place and the vehicle carrying the consignment passes through the territory of the State, the driver or any other person in-charge of the vehicle shall obtain transit permission in the prescribed manner from the authority of the first check-post falling en route after entry into the State and shall surrender the same transit permission to the authority of the last check-post before leaving the State and in the event failure to do so within such time of leaving the first check-post falling en route, being a time not earlier than twenty four hours but not later than seventy two hours, as the Commissioner may by notification specify, it shall be deemed that goods so transported have been sold by the owner or the person in-charge of the vehicle within the State of Bihar."

4. Insertion of a new section 46A in the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- After section 46 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following new section 46A shall be inserted, namely:-

"46A. Recovery Cell- (1) The State Government may, by an order published in official gazette, constitute such number of recovery cells as required and it shall consist of such personnel and such number of officers and such hierarchy of supervision and control as may be specified by the State Government in the said order

Provided that if authorities appointed under sub section(1) of section 10 are specified as such they shall, without prejudice to the powers under sub section(1) of section 10, exercise the powers of an authority under section 39, section 46 and section 47 for carrying out the purposes of this Act.

(2) The State Government may, by an order published in the official Gazette, vest the power of an officer in-charge of a police station under the code of the Criminal procedure, 1973, (2 of 1974) and with such other powers under different Acts, as it may consider necessary to any officer of the Recovery cell.

(3) The Commissioner may, by an order published in the official Gazette, authorize an officer of the Recovery Cell to exercise the powers of an authority appointed under section 10 in cases of the matters specified in the order.

(4) The Recovery Cell shall function under the control & supervision of the Commissioner, and perform such duties as may be assigned to it by the Commissioner."

5. Amendment in section 11 of the Bihar value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- Immediately after the word "section 10" in section 11 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words and figures "or section 46A" shall be added.

6. Amendment in section 12 of the Bihar value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- Immediately after the word "section 10" in sub-section (1) of section 12 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words and figures "or section 46A" shall be added.

7. Amendment in section 46 of the Bihar value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- Immediately after the words "all provisions" in sub-section (2)of section 46 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the words "and rules" shall be added.

Part-2

Amendment in the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993).

8. Amendment in Section 2 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)-

(1) The words "the Bihar Finance Act,1981" in clause (a) of sub section (1) of section 2 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words and figures "the Bihar Value Added Tax Act, 2005".

(2) Clause (b) of sub-section (1) of Section 2 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein, Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the following:

"(b) 'Dealer' means any person who, whether regularly or otherwise, in the course of business, buys, sells, supplies, distributes or does anything incidental to such buying, selling, supplying or distributing of goods, directly or indirectly, whether for cash, or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration and it includes –

(A) a local authority;

(B) a Hindu undivided family;

(C) a company, or any society (including a co-operative society), club, firm, association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, which carries on such business;

(D) a society (including a co-operative society), club, firm or association which buys goods from, or sells, supplies or distributes goods to its members;

(E) an industrial, commercial, banking or trading undertaking, whether or not of the Central Government or of any of the State Governments or of a local authority;

(F) a casual trader;

(G) a commission agent, broker, factor, a del-credere agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing goods on behalf of the principal.

Explanation I- Every person who acts as an agent on behalf of a dealer residing outside the State of Bihar and buys, sells, supplies or distributes goods in the State or acts on behalf of such dealer as -

(a) a commission agent, broker, factor, a del-credere agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called; or

(b) an agent for handling goods or documents of title to goods; or

(c) an agent for the collection or the payment of the sale price of goods or as a guarantor for such collection or payment; or

(d) a local branch of a firm or company situated outside the State, shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act.

Explanation II- A Government which whether or not in the course of business, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration, shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act."

Explanation III- Every person engaged in the business of supplying or delivering Scheduled goods to any buyer or importer within the State through any System of electronic commerce or otherwise shall be deemed to be a dealer for the purpose of this Act."

(3) The words "the Bihar Finance Act,1981" in sub section (2) of section 2 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words and figures "the Bihar Value Added Tax Act, 2005".

9. Amendment in Section 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)-

(1) The words and figures "the Bihar Finance Act,1981" used in sub section (2) of section 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words and figures "the Bihar Value Added Tax Act, 2005".

(2) The words "twenty five thousands" used in first proviso of sub-Section (*2*) of Section 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words "one thousand".

(3) The words and figures "sub-section (3) of Section 7 of the Bihar Finance Act,1981, reduction of his liability under the Bihar Finance Act,1981" used in third proviso of sub section (2) of section 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words and figures "Section 7 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005, reduction of his liability under the Bihar Value Added Tax Act, 2005".

10. Substitution of section 3A of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)-Section 3A of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the following:

"3A. Power of the state Government to amend or alter the Schedule—(1)The State Government may, by notification, amend or alter the Schedule of this Act or add anything in it."

(2)Validation— The amendments made in section 3A of the Act shall be deemed to be in force and always be inforce, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the twenty-ninth day of August, 2006.

(3)Saving.— (*i*) Any assessment, collection, adjustment, reduction or computation made or any other action taken or anything done or purported to have been taken or done under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or sale Therein, Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) and notifications issued and rules made thereunder shall be deemed to be taken or done and always be taken or done, for all purposes, validly and effectively, assessed, collected, adjusted, reduced, computed or taken or done as if the said Act, as amended by this Act, had been in force for all material times and, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any court, or Tribunal or other Authority:-

(a) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court or Tribunal or other Authority for the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(b) no Court, Tribunal or other Authority shall enforce any decree or order directing the refund of any amount received or paid as such tax, interest or penalty;

(c) recoveries may be made, in accordance with the provisions of Section 3A read with the provisions of Section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein, Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), of all amounts which could have been collected as tax under the said Act by reason of amendment made in Section 3A by this Act but which had not been collected.

(*ii*) For the removal of doubts, it is hereby declared that no act or omission on the part of any person shall be punishable as an offence which would not have been so punishable if this section had not come into force.

11. Insertion of a new Section 3AA in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)— After Section 3A of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993), the following new Section 3AA shall be inserted:

"3AA. Collection of tax from importers in certain cases.— (*1*) Notwithstanding anything contained in the Act, every person or dealer engaged in the business of delivering or supplying goods to any buyer or importer within the State who are not registered under the Act, through any System of electronic commerce or otherwise shall, at the time of or before delivery of the said Scheduled goods, recover entry tax at the prescribed rate on the said scheduled goods from the buyer or importer of the said goods.

(*2*) No such delivery of any imported scheduled goods shall be made without recovery of entry tax to be recovered under sub section (1)

(*3*) The power to recover tax under sub-section (*1*) shall be without prejudice to any other mode of recovery.

(*4*) Any person or dealer collecting any amount under sub-section (*1*) shall, within the prescribed time, deposit the amount so collected into Government Treasury in the manner prescribed for deposit of tax under the Act:

(*5*) The provisions of sub-Section (*3*), sub-Section (*4*), sub-Section (*5*) and sub-Section (*6*) of Section 40 of the Bihar Value added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) relating to collection, deposit and liability of the person or dealer collecting such tax, discharge of liability, recovery and imposition of penalty shall, *mutatis mutandis*, apply to any amount collected under the provisions of sub-Section (*1*).

(*6*) Every person or dealer collecting tax under the provisions of this section shall, within such period as may be prescribed, furnish to the buyer a certificate to the effect that tax has been collected, and specifying the sum so collected, the rate at which the tax has been collected and such other particulars as may be prescribed.

(*7*) Every person or dealer collecting tax under the provisions of this section shall prepare within the prescribed time after the end of each month, quarter and year and deliver or cause to be delivered to the prescribed authority such returns in such form and verified in such manner and setting forth such particulars and within such time as may be prescribed.

(*8*) Every person or dealer, under sub-section (1), shall maintain true and complete accounts, registers and documents, as may be prescribed, in respect of the scheduled goods handled by him and the documents of title relating thereto and shall produce the said accounts, registers and documents before the prescribed authority as and when required by him.

(*9*) Every person or dealer responsible for collecting tax, in accordance with the provisions of this section shall apply for and obtain registration under the Act in the manner prescribed under section 5 of the Act."

12. Amendment in Section 7 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)- The words and figures “the Bihar Finance Act,1981(Act 5,1981)” used in sub section (4) of section 7 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the words and figures “the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)”.

13. Substitution of Section 8 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)— Section 8 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993) shall be substituted by the following:

"8. Application of the provisions of the Bihar Value added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and Rules made thereunder.—Subject to other provisions of this Act and the Rules framed thereunder, the authority empowered to scrutinize returns, audit, survey, assess, reassess, collect and enforce payment of tax, interest, fine and penalty payable by a dealer under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) may scrutinize returns, audit, survey, assess, reassess, collect and take action for payment of tax, interest, fine and penalty payable under this Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers assigned to them under the said Act and Rule made thereunder for the time being in force including the provisions relating to returns, audit, survey, assessment, reassessment, escaped assessment, recovery of tax, scrutiny of returns, interest, fine and penalty, special mode of recovery, maintenance of accounts, inspection, search and seizure liability in representative character, tax refund, appeal, revision and reviews, statement of cases to the High Court, appeal before the High Court, compounding of offences and other miscellaneous matters, the provisions of the said Act shall mutatis mutandis apply accordingly."

PART-3

AMENDMENT IN SECTION-4 OF THE BIHAR FINANCE ACT 2014(Bihar Act 15, 2014), WHICH IS RELATED TO BIHAR MOTOR VEHICLE TAXATION ACT, 1994

14. Amendment in section 4 of The Bihar Finance act 2014 (Bihar Act 15,2014)

In section 4 of Bihar Finance Act 2014 (Bihar Act 15, 2014) '3-a (ii)'and '(ii)'in place of shall be read as **'3 – a (ii) a'** and **'(ii) a'** respectively.

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 537-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in